राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

क्रमांक प 3 (1) वित्त/एसपीएफसी/2019 जयपुर, दिनांकः 15.07.2021

परिपत्र

विषय : **कोविड–19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के मध्यनजर उपापन के लिये किये गये अनुबंधों की समयावधि में वृद्धि बाबत्।**

कोविड–19 महामारी की द्वितीय लहर के प्रसार को रोकने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प. 33 (2) गृह–9/2020 दिनांक 14.04.2021 जारी कर दिनांक 16.04.2021 से अनेक पाबंदियां लागू की गईं। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोविड–19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन की स्थिति के कारण प्रभावित हुयी माल एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं संकर्मों के निष्पादन के संदर्भ में दिनांक 16.04.2021 के पश्चात् पूर्ण होने वाले संविदात्मक दायित्वों को पूर्ण करने की अवधि, संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं पर, बिना परिसमापित नुकसानी (Liquidated Damages) आरोपित किये, अधिकतम छः माह तक बढ़ाये जाने का विचार किया जावे।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के तहत यह अभिवृद्धित समयावधि प्रकरण विशेष एवं महामारी के कारण प्रभावित निष्पादन पर आधारित होगी तथा संवेदक के दिनांक 16.04.2021 को संविदा से संबंधित अन्य दायित्वों के निर्वहन में दोषी नहीं होने पर ही लागू होगी। उपरोक्त कारण के अतिरिक्त प्रत्येक अनुबंध में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार निर्णय लिया जावे।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227921 www. finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in
Letter SK14.7.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार (ए एण्ड ई), राजस्थान, जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार (ऑडिट), राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उपशासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(गार्गी सिंह)
मुख्य लेखाधिकारी

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227921 www. finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in